रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2012/पौष 6, 1934

No. 666] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2012/PAUSA 6, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 934(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोग्रामर) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोग्रामर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोग्रामर, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रणाली विश्लेषक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन बैण्ड-3 15600-39100₹ + ग्रेड वेतन 6600₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3 15600-39100₹ + ग्रेड वेतन 5400₹ या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 9300-34800₹ + ग्रेड वेतन 4600₹ या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:- आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या गणित या संक्रिया अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रोनिक या इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार में डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान मास्टर या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री; या राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (जिसे पूर्व में इलैक्ट्रोनिकी एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन विभाग के नाम से जाना जाता था) का 'बी' स्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ।	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव जिसमें कम्प्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में मास्टर या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी मास्टर; या राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (जिसे पूर्व में इलैक्ट्रोनिकी एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन विभाग के नाम से जाना जाता था) का 'सी' स्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या गणित या संक्रिया अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में डॉक्टरेट डिग्री । (ii) सरकार द्वारा अनुमोदित या मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या प्रणाली डिजाइन या विश्लेषण में दो वर्ष का प्रारूपिक प्रशिक्षण । (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक साधारण ग्रेड वेतन में या वेतनमान में विलय किया गया हो और जहां इसका लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रोग्रामर	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100₹ + ग्रेड वेतन 5400₹	लागू नही होता	लागू नही होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 9300-34800₹ + ग्रेड वेतन 4800₹ या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है; या	लागू नही होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

4794 GI/12-2

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 9300-34800₹ + ग्रेड वेतन 4600₹ या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:- आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या गणित (सांख्यिकी के साथ) या संक्रिया अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी के साथ) या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में बैचलर या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में बैचलर; या राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (जिसे पूर्व में इलैक्ट्रोनिकी एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन विभाग के नाम से जाना जाता था) का 'ए' स्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो । (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें से कम्प्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए । वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में मास्टर या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी मास्टर; या राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (जिसे पूर्व में इलैक्ट्रोनिकी एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन विभाग के नाम से जाना जाता था) का 'बी' स्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या गणित या संक्रिया अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में डॉक्टरेट डिग्री ।		

(ii) सरकार द्वारा अनुमोदित या मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या प्रणाली डिजाइन या विश्लेषण में एक वर्ष का प्रारूपिक प्रशिक्षण । (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक साधारण ग्रेड वेतन में या वेतनमान में विलय किया गया हो और जहां इसका लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा.-III/यूडी-II]

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2012

G.S.R. 934(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Town and Country Planning Organisation (System Analyst and Programmer) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of System Analyst and Programmer in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely.–

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, System Analyst and Programmer, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.– The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. System Analyst.	1* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay ₹6600/-.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations,– (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade in posts in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400/- or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with eight years regular service in the grade in posts in pay band-2 ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:– Essential: (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) from a recognised University or Institution; or	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

4794 GI/12-3

Degree in Engineering in Information Technology or Electronics or Electronics and Communication from a recognised University or Institution; or

Masters of Science in Computer Science or Master's Degree in Computer Application from a recognised University or Institution; or

Passed 'B' Level Course of National Institute of Electronics and Information Technology (formerly known as Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses).

(ii) Five years experience of electronic data processing work, out of which at least three years experience should be in actual programming on computer in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.

Desirable:
(i) Master of Engineering or Master of Technology in Information Technology or Computer Science from a recognised University or Institution; or

Passed 'C' Level Course of National Institute of Electronics and Information Technology (formerly known as Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses); or

Doctorate Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) from a recognised University or Institution.

(ii) Two years formal training in Computer programming or System design or analysis in a Government approved or recognised Institution.

(iii) Two years experience in Remote Sensing and Geographical Information System Application in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service

rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Programmer.	I* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted , Non-Ministerial.	Pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay ₹5400/-.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations,– (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade in posts in pay band-2 ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4800/- or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years regular service in the grade in posts in pay band-2 ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:– Essential: (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) or Operations Research or Physics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised University or Institution; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institution; or Passed 'A' Level Course of National Institute of Electronics and Information Technology (formerly known as Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses).	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(ii) Three years experience of electronic data processing work, out of which at least one year experience should be in actual programming on computer in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.

Desirable:
(i) Master of Engineering or Master of Technology in Information Technology or Computer Science from a recognised University or Institution; or

Passed 'B' Level Course of National Institute of Electronics and Information Technology (formerly known as Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses); or

Doctorate Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) from a recognised University or Institution.

(ii) One year formal training in Computer programming or System design or analysis in a Government approved or recognised Institution.

(iii) Two years experience in Remote Sensing and Geographical Information System Application in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/UD-II]

K. G. MOHANTA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 935(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (पब्लिक हैल्थ इंजीनियर, अर्बन डिजाइनर और लैण्ड स्केप आर्किटेक्ट) भर्ती नियम, 1984 को, जहाँ तक उनका संबंध पब्लिक हैल्थ इंजीनियर के पद से है और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (वर्ग 1 एवं वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहाँ तक उनका संबंध सह नियोजक (योजना इंजीनियर) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में योजना इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, योजना इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों की संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योजना इंजीनियर	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनअनुसचिवीय ।	वेतन बैण्ड-3 15600-39100₹ + ग्रेड वेतन 6600₹	लागू नही होता	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारीः (क)(i) जो मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3 15600-39100₹ + ग्रेड वेतन 5400₹ या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:- आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पब्लिक हैल्थ इंजीनियरी में डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में जल आपूर्ति योजना और निष्पादन, जल निकासी और मल निपटान या अचल संपदा प्रबंधन में पाँच वर्ष का अनुभव । वांछनीय: (i) किसी सरकारी या गैर-सरकारी संगठन, मूल रूप से सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, में योजना बनाने, अवसंरचना से संबंधित योजनाओं की वित्तीय अवस्थिति के विश्लेषण, आवास इत्यादि में दो वर्ष का अनुभव । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नगर या शहर या शहरी या परिवहन या पर्यावरण या क्षेत्रीय नियोजन में डिग्री या डिप्लोमा या नगर नियोजक संस्थान (भारत) की उपसदस्यता । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56		

वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक साधारण ग्रेड वेतन में या वेतनमान में विलय किया गया हो और जहां इसका लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा.-III/यूडी-II]

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2012

G.S.R. 935(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Town and Country Planning Organisation (Public Health Engineer, Urban Designer and Landscape Architect) Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the post of Public Health Engineer and the Town and Country Planning Organisation (Class I and II Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Associate Planner (Planning Engineer), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Planning Engineer in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely.–

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Planning Engineer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.– The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Planning Engineer.	2* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay ₹6600/-.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations,–	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade in posts in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400/- or equivalent in the parent cadre or Department; or (b) possessing the following educational qualifications and experience:– Essential: (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; or Degree in Public Health Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Five years experience in planning and execution of water supply, drainage and sewage disposal or real estate management in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations. Desirable: (i) Two years experience in formulation of plan, analysis of financial aspects of schemes related to infrastructure, housing etc. in the Government or Non-Government Organisation, substantively aided by the Government. (ii) Degree or Diploma in Town or City or Urban or Transport or Environmental or Regional Planning from a recognised University or Institution or Associateship of the Institute of Town Planners (India). Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common		

grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/UD-II]

K. G. MOHANTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.